रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 | REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092022-239106
**CG-DL-W-26092022-239106**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**
**साप्ताहिक**
**WEEKLY**

**सं. 33]** **नई दिल्ली, सितम्बर 11— सितम्बर 17, 2022, शनिवार/ भाद्र 20—भाद्र 26, 1944**
**No. 33] NEW DELHI, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2022, SATURDAY/BHADRA 20—BHADRA 26, 1944**

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके**
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

**सा.का.नि. 126.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (कैमरामैन) भर्ती नियम, 2017 को, जहॉं तक उसका संबंध कैमरामैन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कैमरामैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कैमरामैन (समूह ग) भर्ती नियम, 2022 है।

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

**सा.का.नि. 128.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक इसका संबंध कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय कुष्ठरोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक | 02* (2022)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 -81100/ रु.) |

| चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|
| (11) |
| **प्रोन्नति :-** पैरा-मेडिकल कार्यकर्ता जो उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।<br><br>**टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्ताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जो,-<br><br>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अचिकित्सकीय पर्यवेक्षक के सदृश पदों को धारित करता हो;या<br>(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष सेवा की हो; और<br>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो,-<br>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास हो; और |

(ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से स्वास्थ्य परिदर्शक पाठ्यक्रम पास होने का प्रमाणपत्र रखता हो और राज्य परिचर्या परिषद् में स्वास्थ्य परिदर्शक के रुप में अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो।

**टिप्पण 1 :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतय 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br><br>1. उप निदेशक (महामारीविद्) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष<br><br>2. सहायक निदेशक (महामारीविद्) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य<br><br>3. सहायक निदेशक (सूक्ष्मजीव विज्ञानी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य<br><br>4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12018/41/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 2022

**G.S.R. 128.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Junior Field Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Field Investigator in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

**1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Junior Field Investigator (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Junior Field Investigator | 02* (2022)<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100). | Non-selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made. |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By promotion failing which by deputation (including short term contract). | **Promotion.**<br><br>Para Medical Worker in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years of regular service in the grade.<br><br>**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| | |
|---|---|
| | **Deputation (including short- term contract):**<br><br>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes,-<br><br>(a)(i) holding analogous Non-Medical Surpervisor posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or<br><br>(ii) with five years' service in the post rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and<br><br>(b) possessing the educational qualifications and experience,<br><br>(i) 12th class pass from a recognised Board; and<br><br>(ii) Certificate of having passed Health Visitors' course from a recognized institute and must have been registered as a Health Visitor from State Nursing Council.<br><br>**Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.<br><br>**Note 2:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -**<br><br>1. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman<br><br>2. Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member<br><br>3. Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member<br><br>4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member. | Not applicable. |

[F. No. A-12018/41/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.